न्यायालय, सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
मुकाम श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या 194/2022(जी.सी.एम.एस. 2022/300)

वादीगण	बनाम प्रतिवादीगण
1. जगतार सिंह पुत्र हरपाल सिंह जाति जटसिख निवासी गांव 6 एफ ए, तहसील श्री करणपुर। 2. औंकार सिंह पुत्र हरबंस सिंह जाति जटसिख निवासी गांव 6 एफ ए, तहसील श्री करणपुर। 3. गुरमीत सिह पुत्र कौर सिंह जाति जटसिख निवासी गांव 6 एफ ए, तहसील श्री करणपुर। 4. रणजीत सिंह पुत्र कौर सिंह जाति जटसिख निवासी गांव 6 एफ ए, तहसील श्री करणपुर।	1. खुशविन्द्र कौर पत्नी जगजीत सिंह जाति जटसिख निवासी गांव 6 एफ ए, तहसील श्री करणपुर। 2. गुरचरण सिंह पुत्र बलवन्त सिंह जाति जटसिख निवासी गांव 6 एफ ए, तहसील श्री करणपुर। 3. गुरजन्ट सिंह पुत्र बलवन्त सिंह जाति जटसिख निवासी गांव 6 एफ ए, तहसील श्री करणपुर। 4. गुरजीत कौर उर्फ मनजीत कौर पुत्री कपूर सिंह जाति जटसिख निवासी गांव 6 एफ ए, तहसील श्री करणपुर जिला श्री गंगानगर। 5. गुरदेव सिंह पुत्र बिशन सिंह जाति जटसिख निवासी गांव 6 एफ ए, तहसील श्री करणपुर। 6. गुरदीप कौर पत्नी सरजीत सिंह जाति जटसिख निवासी गांव 6 एफ ए, तहसील श्री करणपुर। 7. गुरदीप सिंह पुत्र हजूर सिंह जाति जटसिख निवासी गांव 6 एफ ए, तहसील श्री करणपुर। 8. गुरप्रीत कौर पत्नी निर्भय सिंह जाति जटसिख निवासी गांव 6 एफ ए, तहसील श्री करणपुर। 9. हरनेक सिंह पुत्र बूगर सिंह जाति जटसिख निवासी गांव 6 एफ ए, तहसील श्री करणपुर 10. हरमन सिंह पुत्र निर्मल सिंह जाति जटसिख निवासी गांव 6 एफ ए, तहसील श्री करणपुर। 11. घुकर बाई पुत्री विचिन्त सिंह जाति जटसिख निवासी गांव 6 एफ ए, तहसील श्री करणपुर। 12. जलंधर सिंह पुत्र हजूर सिंह जाति जटसिख निवासी गांव 6 एफ ए, तहसील श्री करणपुर। 13. जलंधर सिंह पुत्र सरजीत सिंह जाति जटसिख निवासी गांव 6 एफ ए, तहसील श्री करणपुर। 14. जवन्द सिंह पुत्र जगराज सिंह जाति जटसिख निवासी गांव 6 एफ ए, तहसील श्री करणपुर। 15. तेज कौर पत्नी जगराज सिंह जाति जटसिख निवासी गांव 6 एफ ए, तहसील श्री करणपुर। 16. प्रताप सिंह पुत्र बुगर सिंह जाति जटसिख निवासी गांव 6 एफ ए, तहसील श्री करणपुर(मृतक) 16/1. बलजीत कौर पत्नी बुगर सिंह जाति जटसिख निवासी 6 एफए रडेवाला तहसील श्रीकरणपुर। 16/2 राज सिंह पुत्र प्रताप सिंह जाति जटसिख निवासी 6 एफए रडेवाला तहसील श्रीकरणपुर। 16/3 शिवराज सिंह पुत्र प्रताप सिंह जाति जटसिख निवासी 6 एफए रडेवाला तहसील श्रीकरणपुर। 16/4 अंग्रेज सिंह पुत्र प्रताप सिंह जाति जटसिख निवासी 6 एफए रडेवाला तहसील श्रीकरणपुर। 16/5 भोला सिंह पुत्र प्रताप सिंह जाति जटसिख निवासी 6 एफए रडेवाला तहसील श्रीकरणपुर(मृतक) 16/5/1 शरनदीप कौर पत्नी भोला सिंह जाति जटसिख निवासी 6 एफए रडेवाला तहसील श्रीकरणपुर। 16/5/2 मनप्रीत सिंह पुत्र भोला सिंह जाति जटसिख निवासी 6 एफए रडेवाला तहसील श्रीकरणपुर। 17. बलजीत कौर पत्नी प्रताप सिंह जाति जटसिख निवासी गांव 6 एफ ए, तहसील श्री करणपुर।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

	18. बलजीत सिंह पुत्र कपूर सिंह जाति जटसिख निवासी गांव 6 एफ ए, तहसील श्री करणपुर। 19. बलवन्त सिंह पुत्र बचन सिंह जाति जटसिख निवासी गांव 6 एफ ए, तहसील श्री करणपुर(मृतक) 19/1 गुरचरण सिंह पुत्र बलवन्त सिंह जाति जटसिख निवासी गांव 6 एफ ए, तहसील श्री करणपुर। 19/2 गुरजन्ट सिंह पुत्र बलवन्त सिंह जाति जटसिख निवासी गांव 6 एफ ए, तहसील श्री करणपुर। 19/3 चरणजीत कौर पुत्री बलवन्त सिंह जाति जटसिख निवासी गांव 6 एफ ए, तहसील श्री करणपुर। 20. मन्दर सिंह पुत्र सरजीत सिंह जाति जटसिख निवासी गांव 6 एफ ए, तहसील श्री करणपुर। 21. महिन्दर सिंह पुत्र सरजीत सिंह जाति जटसिख निवासी गांव 6 एफ ए, तहसील श्री करणपुर। 22. गुरमीत सिंह पुत्र कपूर सिंह जाति जटसिख निवासी गांव 6 एफ ए, तहसील श्री करणपुर। 23. रूल्दू सिंह पुत्र गुरबक्श सिंह जाति जटसिख निवासी गांव 6 एफ ए, तहसील श्री करणपुर। 24. समनप्रीत पुत्र जगजीत सिंह जाति जटसिख निवासी गांव 6 एफ ए, तहसील श्री करणपुर। 25. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार राजस्व, श्री करणपुर।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 91, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू 03.11.2022

उपस्थितः 1.श्री पलविन्द्र सिंह, इन्द्राज सेजू अधिवक्ता वादीगण
2. श्री मनीष कुमार जागिंड अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 14, 15

--निर्णय-- **दिनांकः 08.09.2023**

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम चक 7 एफ ए, पटवार हल्का 50 एफ रूपनगर, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर की सीमा में जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के अनुसार खाता संख्या 44/41 के मुरब्बा नं0 2, 18, 23, 37, 50/5, 50/10 में कुल 8.476 हैक्टर नहरी मय गैर मुमकिन खाला भूमि राजस्व अभिलेख में वादीगण एवम् प्रतिवादीगण के नाम दर्ज है। उक्त वर्णित संयुक्त खाता की भूमि में वादी संख्या 1 जगतार सिंह का 340/1421 हिस्सा, वादी संख्या 2 ओंकार सिंह का 10/203 हिस्सा, वादी संख्या 3 गुरमीत सिंह का 10/203 हिस्सा व वादी सख्या 4 रणजीत सिंह का 10/203 हिस्सा दर्ज है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण आपस में पारिवारिक सदस्य एवं एक ही गांव के है। पक्षकारान द्वारा उक्त वर्णित भूमि का आपसी सहमति से पंचायती घरू बंटवारा कर रखा है और उसी अनुरूप सभी पक्षकारान अपने अपने हिस्सा की भूमि पर शातिपूर्वक काबिज चले आ रहे है। चूंकि वर्तमान में हमारे परिवार काफी बढ़ चुके है तथा आने वाली पीढ़ियो में कोई मनमुटाव या बंटवारा को लेकर विवाद न हो, इस कारण पक्षकारान ने आपसी सहमति से अपने हिस्सा में आई भूमि का दिनांक 17.10.2022 को लिखित बंटवारा कर लिया। वादी संख्या 1 जगतार सिंह को चक 7 एफ ए के मुरब्बा नं0 23 में किला नं0 1 में 0.227 हैक्टर, किला नं0 2, 3, 4, 5 प्रत्येक में 0.253 हैक्टर, किला नं0 6 में 0.149 हैक्टर, किला नं0 7 में 0.149 हैक्टर, किला नं0 8 में 0.149 हैक्टर, किला नं0 9 में 0.149 हैक्टर, किला नं0 10 में 0.149 हैक्टर कुल रकबा 1.984 हैक्टर नहरी कृशि भूमि व मुरब्बा नं0 50/5 में 0.040 हैक्टर गैर मुमकिन खाला कुल 2.024 हैक्टर नहरी मय गैर मुमकिन खाला भूमि आई हुई है। वादी संख्या 2, 3 व 4 के हिस्सा में चक 7 एफ ए के मुरब्बा नं0 23 में किला नं0 21 में 0.228 हैक्टर, किला नं0 22, 23, 24, 25 प्रत्येक में 0.253 हैक्टर व मुरब्बा नं0 50/10 में 0.025 हैक्टर कुल रकबा 1.265 हैक्टर नहरी मय गैर मुमकिन खाला भूमि आई हुई है। पक्षकारान ने भूमि का आपसी सहमति व सुविधा अनुरूप मौखिक विभाजन अवश्य कर लिया था, लेकिन राजस्व अभिलेख में भूमि विभाजन अनुरूप पक्षकारान के नाम अलग से दर्ज नहीं हुयी है। पक्षकारान अपने हिस्सा में आयी भूमि पर शांतिपूर्वक काबिज है, लेकिन राजस्व अभिलेख में संयुक्त भूमि दर्ज होने के कारण पक्षकारान को भारी परेशानियो का सामना करना पड़ रहा है। वादीगण अपने हिस्सा की कृषि भूमि, हिस्सा, ठेका पर काश्त करवाने, कृषि भूमि पर प्राप्त होने वाली पानी की बारी बंधवाने, कृषि भूमि पर बैंक ऋण आदि प्राप्त करने,

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

राज्य सरकार/केन्द्र सरकार से अनुदान राशि, मुआवजा राशि इत्यादि प्राप्त करने अन्य विभिन्न समस्याओं से झूजना पड़ता है, यदि पक्षकारान के कब्जा काश्त व हिस्सा की भूमि पक्षकारान के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज होती है तो पक्षकारान उक्त कृषि भूमि के संबंध में प्राप्त होने वाली हर प्रकार की सुविधा प्राप्त करने के अधिकारी होते है, इस कारण वादीगण ने प्रतिवादीगण को कई बार कहा कि हम आपस में कई वर्षो से विधिवत पारिवारिक सम्पति विभाजन करके, विभाजन अनुरूप अपने हिस्सा में आयी कृषि भूमि पर काबिज तो है, लेकिन अब परिवार बढ़ रहे है और पहले जैसे हालात व संबंध नही रह गये है। इस कारण अब वर्तमान में कब्जा काश्त व सम्पति विभाजन अनुसार पक्षकारान भूमि अपने नाम दर्ज करवा लेवे व कब्जा काश्त अनुरूप भूमि अपने नाम करवा लेवे, तो प्रतिवादीगण पहले तो आज कल आज का कहकर असमर्थता जाहिर कर रहे है, जबकि वादीगण ने अपने हिस्सा व कब्जा काश्त भूमि को अपने खून पसीने की कमाई से उपजाऊ व समतल बनाया है, लेकिन वादीगण के कब्जा काश्त अनुरूप किलावाईज भूमि राजस्व अभिलेख में दर्ज नहीं है, जिससे कोई असुविधाओ का सामना वादीगण को करना पड़ता है। वादीगण ने आज से 2 रोज पूर्व प्रतिवादीगण से कहा कि हम पारिवारिक सम्पति विभाजन व सहमति दिनांक 17.10.2022 के अनुसार बंटवारा करवाकर, अपने-अपने हिस्सा में आई भूमि को किलावाईज राजस्व अभिलेख में दर्ज करवा लेवे, तो प्रतिवादीगण ने कहा कि पारिवारिक परेशानियों व व्यस्तता के चलते हम ऐसा करने में असमर्थ है। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वादपत्र पेश कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर सहमति बंटवारानामा दिनांक 17.10.2022 कब्जा काश्त मुताबिक डिक्री फरमाया जावे।

2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 15, 17, 18, 20 ता 24 बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। प्रतिवादी संख्या 16 व 19 के संबध में प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सीपीसी पेश किया जो बाद सुनवाई स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 16 व 19 के विधिक वारिसान को पक्षकार संयोजित किया गया। प्रतिवादी संख्या 16/1 ता 16/5/2, 19/1 ता 19/3 बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने के इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। जवाब स्टेट पेश नहीं होने पर बन्द किया गया। वादीगण अधिवक्ता के द्वारा निवेदन किया कि प्रकरण में मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार श्रीकरणपुर से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाकर वाद पत्र डिक्री किये जाने के आदेश दिये जावे। प्रतिवादी संख्या 14 व 15 की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 सीपीसी पेश किया जो बाद सुनवाई स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 14 व 15 के विरूद्ध किए गए एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश को निरस्त किया गया। जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम सामिल मिसल किया गया। वादी अधिवक्ता के द्वारा काउन्टर क्लेम पर अनापत्ति जाहिर की। जवाब काउन्टर क्लेम बन्द किया गया।

3. पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वादपत्र मय शपथपत्र, जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम एवं दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस पर गौर कर मनन किया गया। लिहाजा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 14, 15 अपनी आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स राजस्व रिकॉर्ड दर्ज भूमि अनुसार तकासमा चाहते है। लिहाजा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 14, 15 के हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवारा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवारा करवाया जाना उचित समझते हुए माफिक प्राथमिक डिक्री इस आशय की जारी की गई कि राजस्व ग्राम चक 7 एफ ए, पटवार हल्का 50 एफ रूपनगर, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर की सीमा में जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के अनुसार खाता संख्या 44/41 के मुरब्बा नं0 2, 18, 23, 37, 50/5, 50/10 में कुल 8.476 हैक्टर नहरी मय गैर मुमकिन खाला भूमि में वादी संख्या 1 जगतार सिंह के नाम 2.028 हेक्टैयर, वादी संख्या 2 औंकार सिंह के नाम 0.4175 हेक्टैयर, वादी संख्या 3 गुरमीत सिंह के नाम 0.4175 हेक्टैयर, वादी संख्या 4 रणजीत सिंह के नाम 0.4175 हेक्टैयर भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। जिसका माफिक राजस्व रिकॉर्ड, हिस्से माफिक भूमि का वादीगण के मध्य बंटवारा मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स करवाया जाकर खाता एवं लगान अलग-अलग किया जावे। तहसीलदार

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

श्रीकरणपुर को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना में विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा अधिकृत किया गया तहसीलदार श्रीकरणपुर ने प्राथमिक डिक्री की पालना में बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, शामिल मिसल की गई।

4. बहस अधिवक्तागण सुनी गई, बहस के दौरान वादीगण व प्रतिवादी संख्या 14, 15 के अधिवक्तागण ने माफिक बंटवारा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादीगण का वादपत्र व प्रतिवादी संख्या 14, 15 का काउन्टर क्लेम डिक्री किया जाकर बंटवारा किये जाने की ईस्तदुआ की है। बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण व तहसीलदार श्रीकरणपुर से प्राप्त पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवारा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद पत्र व प्रतिवादीगण का काउन्टर क्लेम डिक्री किया जाकर बंटवारा किया जाना हम उचित समझते है।

-:आदेशः-

5. अतः अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जाती है कि राजस्व ग्राम चक 7 एफ ए, पटवार हल्का 50 एफ रूपनगर, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर की सीमा में जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के अनुसार खाता संख्या 44/41 के मुरब्बा नं0 2, 18, 23, 37, 50/5, 50/10 में कुल 8.476 हेक्टर नहरी मय गैर मुमकिन खाला भूमि में से वादी संख्या 1 जगतार सिंह के नाम 2.028 हेक्टैयर, वादी संख्या 2 औंकार सिंह के नाम 0.4175 हेक्टैयर, वादी संख्या 3 गुरमीत सिंह के नाम 0.4175 हेक्टैयर, वादी संख्या 4 रणजीत सिंह के नाम 0.4175 हेक्टैयर, प्रतिवादी संख्या 14 व 15 के नाम 0.127 हेक्टेयर भूमि का बंटवारा अर्थात विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैः-

नाम खातेदारान मय वल्दियत सकूनत	राजस्व ग्राम	मु.न.	किला न.	रकबा	किस्म	लगान
जगतार सिंह पुत्र हरपाल सिंह जाति जटसिख निवासी गांव 6 एफ ए, तहसील श्री करणपुर। (2.024 हैक्टेयर)	7 एफ ए	23 50/05	01 2 ता 5 6 7 8 9 10	0.227 हैक्टेयर 1.012 हैक्टेयर 0.149 हैक्टेयर 0.149 हैक्टेयर 0.149 हैक्टेयर 0.149 हैक्टेयर 0.149 हैक्टेयर 0.040 हैक्टेयर	नहरी नहरी नहरी नहरी नहरी नहरी नहरी गै.मु.खा.	1.62 7.20 1.06 1.06 1.06 1.06 1.06 0.00
औंकार सिंह पुत्र हरवंस सिंह जाति जटसिख निवासी गांव 6 एफ ए, तहसील श्री करणपुर। (0.421 हैक्टेयर) गुरमीत सिह पुत्र कौर सिंह जाति जटसिख निवासी गांव 6 एफ ए, तहसील श्री करणपुर। (0.422 हैक्टेयर) रणजीत सिंह पुत्र कौर सिंह जाति जटसिख निवासी गांव 6 एफ ए, तहसील श्री करणपुर। (0.422 हैक्टेयर)	7 एफ ए	23 50/05	21 22 ता 25	0.228 हैक्टेयर 1.012 हैक्टेयर 0.025 हैक्टेयर	नहरी नहरी गै.मु.खा.	1.62 7.20 0.00
जवन्द सिंह पुत्र जगराज सिंह जाति जटसिख निवासी गांव 6 एफ ए, तहसील श्री करणपुर। (0.101 हैक्टेयर) तेज कौर पत्नी जगराज सिंह जाति जटसिख निवासी गांव 6 एफ ए, तहसील श्री करणपुर। (0.026 हैक्टेयर)	7 एफ ए	18	1/2	0.127हैक्टेयर	नहरी	0.90

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीकरणपुर

जगतार सिंह आदि बनाम खुषविन्द्र कौर आदि
वाद पत्र अंतर्गत धारा 53, 91, 88 आरटीए,
प्रकरण संख्या 194/2022

ब **खाता एंव रहन बदस्तूर रहेगा।** तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। बंटवारा ोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावे। स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर क्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद मील जाब्ता दाखिल दफतर/ लेख भण्डार जमा हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)**}**
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

निर्णय आज दिनांक 08.09.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)**}**
सहायक कलक्टर एंव पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}

(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर

ब इजलास श्री सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)

जगतार सिंह आदि बनाम खुशविन्द्र सिंह आदि

धारा अन्तर्गत **53, 88, 91** आरटीए मुकदमा नम्बर **194/2022**

निर्णय दिनांक :- 08.09.2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादीगण अधिवक्ता श्री पलविन्द्र सिंह, इन्द्राज सेजू व प्रतिवादी अधिवक्ता श्री मनीष जांगिड** पेश होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि राजस्व ग्राम चक 7 एफ ए, पटवार हल्का 50 एफ रूपनगर, भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र 9 एफ ए, तहसील श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर की सीमा में जमाबंदी सम्वत 2073 ता 2076 के अनुसार खाता संख्या 44/41 के मुरब्बा नं0 2, 18, 23, 37, 50/5, 50/10 में कुल 8.476 हैक्टर नहरी मय गैर मुमकिन खाला भूमि में से वादी संख्या 1 जगतार सिंह के नाम 2.028 हेक्टैयर, वादी संख्या 2 औंकार सिंह के नाम 0.4175 हेक्टैयर, वादी संख्या 3 गुरमीत सिंह के नाम 0.4175 हेक्टैयर, वादी संख्या 4 रणजीत सिंह के नाम 0.4175 हेक्टैयर, प्रतिवादी संख्या 14 व 15 के नाम 0.127 हैक्टेयर भूमि का बंटवारा अर्थात विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

क्र. स.	नाम खातेदारान मय वल्दियत सकूनत	राजस्व ग्राम	मु.न.	किला न.	रकबा	किस्म	लगान
1	जगतार सिंह पुत्र हरपाल सिंह जाति जटसिख निवासी गांव 6 एफ ए, तहसील श्री करणपुर। (2.024 हैक्टेयर)	7 एफ ए	23	01	0.227 हैक्टेयर	नहरी	1.62
				2 ता 5	1.012 हैक्टेयर	नहरी	7.20
				6	0.149 हैक्टेयर	नहरी	1.06
				7	0.149 हैक्टेयर	नहरी	1.06
				8	0.149 हैक्टेयर	नहरी	1.06
				9	0.149 हैक्टेयर	नहरी	1.06
				10	0.149 हैक्टेयर	नहरी	1.06
			50/05		0.040 हैक्टेयर	गै.मु.खा.	0.00
2	औंकार सिंह पुत्र हरबंस सिंह जाति जटसिख निवासी गांव 6 एफ ए, तहसील श्री करणपुर। (0.421 हैक्टेयर) गुरमीत सिह पुत्र कौर सिंह जाति जटसिख निवासी गांव 6 एफ ए, तहसील श्री करणपुर। (0.422 हैक्टेयर) रणजीत सिंह पुत्र कौर सिंह जाति जटसिख निवासी गांव 6 एफ ए, तहसील श्री करणपुर। (0.422 हैक्टेयर)	7 एफ ए	23	21	0.228 हैक्टेयर	नहरी	1.62
				22 ता 25	1.012 हैक्टेयर	नहरी	7.20
			50/05		0.025 हैक्टेयर	गै.मु.खा.	0.00
3	जवन्द सिंह पुत्र जगराज सिंह जाति जटसिख निवासी गांव 6 एफ ए, तहसील श्री करणपुर। (0.101 हैक्टेयर) तेज कौर पत्नी जगराज सिंह जाति जटसिख निवासी गांव 6 एफ ए, तहसील श्री करणपुर। (0.026 हैक्टेयर)	7 एफ ए	18	1/2	0.127हैक्टेयर	नहरी	0.90

शेष खाता एंव रहन बदस्तूर रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक 06.09.2023 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी

श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

श्रीकरणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	02	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अरजी	02	--
स्टाम्प ड्यूटी	600	00	मेहनताना वकील पर	00	--
योग	604	**00**	**योग**	**04**	**00**

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर
दिनांकः 11.09.2023

क्रमांकः रीडर/ 2023/

प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर जिला श्रीगंगानगर
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर)